राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 दूरभाष : 2415091-95

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML IX)/2024/ई–09629

Corrigendum-1

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 एवं शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2025 की पालना में निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/निलामी (ML IX)/2024/ई–09629 दिनांकः 24.12.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 39 से 41, 54, 94 एवं 155 से 173 पर वर्णित प्लॉटो के कॉलम संख्या 06 में अधिसचूना अनुसार जिला जयपुर (ग्रामीण) के स्थान पर जयपुर एवं जिला नीमकाथाना के स्थान पर सीकर संशोधित किया जाता है।

2. विज्ञप्ति के क्रम संख्या 17, 24, 31, 47, 63, 79, 91, 92, 93, 95, 102, 106, 119 एवं 134 में अंकित प्लॉटो के कॉलम संख्या 09 ''बिड प्रतिभूति राशि'' में राशि रूपया ''1000000'' के स्थान पर राशि रूपया ''500000'' संशोधित की जाती है।

3. विज्ञप्ति मे अंकित ''(अ) महत्वपूर्ण बिन्दू'' के बिन्दू संख्या 9 के पश्चात निम्नानुसार बिन्दू संख्या 10 जोड़ा जाता हैः–
''10. ई–नीलामी में प्रस्तुत बोली राशि 30 करोड से अधिक होने पर बिड प्रतिभूति राशि प्रस्तुत बोली राशि की 25 प्रतिशत जमा करवानी होगी।''

4. विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 10 में क्रम संख्या 27 पर वर्णित प्लॉट में आरक्षित राशि 446512.50, क्रम संख्या 28 में आरक्षित राशि 925020, क्रम संख्या 39 में आरक्षित राशि 42300, क्रम संख्या 40 में आरक्षित राशि 461500, क्रम संख्या 41 में आरक्षित राशि 49300, क्रम संख्या 42 में आरक्षित राशि 77962 एवं क्रम संख्या 43 में आरक्षित राशि 331800 संशोधित की जाती है।

5. विज्ञप्ति के शर्त (स) के बिन्दू संख्या 10(i) निम्नानुसार संशोधित की जाती हैः–
''बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उनके जॉइन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेन्स धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता/[illegible] द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2025.01.08 20:18:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12875470

नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र (राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के संशोधित नियम 85 के प्रावधान अनुसार) प्रस्तुत होने पर ही मान्य होगें।''

6. विज्ञप्ति के शर्त (स) के बिन्दू संख्या 11 निम्नानुसार संशोधित की जाती है:–
''यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियम 14(10) अनुसार पूर्तियां निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नही कराये जाते है, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु स्वतः बढी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समयावधि में प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नही कराने पर जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये सफल बोलीदाता को आगामी पॉच वर्षों हेतु ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जावेगा।''

(भगवती प्रसाद)आई.ए.एस.
निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML IX)/2024/ई–09629

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता।
5. समस्त खनि अभियन्ता।
6. समस्त सहायक खनि अभियन्ता।

निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date: 2025.01.08 20:18:07 IST
Reason: Approved